

# Form No. III

जिल्ला उपखण्ड अधिकारी (मुकाम) मारवाड़ जंक्शन

लेप्पाराम बनाम खरताराम वगैरह


कदमा खजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 91, 188 काशतकारी अधिनियम 1955 नं. 239 सन् 2015


हुक्म या कार्यवाही मय इनिसिल्स जज

नम्बर या तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म का तामिल में  
जारी हुए


वकील वादी उपस्थित ।

वकील वादी द्वारा एक राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के अन्तर्गत धारा 53, 88, 91, 188 राजस्थान काशतकारी अधिनियम के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्ट्रर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 6-7-2015 को पेश हो।


  
उपखण्ड अधिकारी  
मारवाड़ जंक्शन



पत्रावली पेश हुई।  
वकील श्री गिरीरामो पत्रावली द्वारा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व 7, 8, 9 की ओर पत्रावली पेश किया जो शा. पत्रा. ले। जवाब हेतु शकुर पाते हैं मर हिल में शकुर डिमा जाता है। शेष परि. की लच्छी हेतु पत्रावली शा. पत्रा. दिनांक 3/8/2015 को पेश हो



3/8 पत्रावली पेश हुई  
आज पीठारी में जजिदारी नहोदब,  
अन्य कार्य से / मरवाड़ पर है /  
बेटक से पत्रावली / मरवाड़ पर है  
आज पत्रावली आ  
दिनांक 3/8/2015 को पेश हो।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं रजिस्ट्रर  
मारवाड़ जंक्शन

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए ।
२५/९/१७	<p>पतावली आज पेश हुई वकील वाली उपर  वकील वाली का दिनांक २५/९/१६ के  लगातार P/A लम्हन पेश करने हेतु निर्देश  दिया जाता रहा है कि-उ आदिनांक तक  P/A लम्हन पेश नहीं किये हैं <sup>जुना कि</sup>  अपनी कार्यवाही की-तैयारी में आता है।  वकील वाली इसका P/A लम्हन पेश नहीं  करने के कारण हेतु उपरवाला निर्देश  प्रक्रिया संकेत के अन्तर्गत ०-९-R-5  के तहत खरीज किया जाता है फिलहाल  २३/९/१७ को नम्बर १-१४२ के अन्तर्गत</p> <p style="text-align: right;">लक्ष्मण लम्हण ५१०५१०</p>	

